पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान

13-10-17

अधिवक्तागण उपस्थित आये। उभय
पक्षकारों के अधिवक्तागण पर
बहस सुनी व पत्रावली का
मनन करने पर न्यायालय
अवलोकन करने पर न्यायालय
इस निष्कर्ष पर पहुंचता है,
कि प्रार्थना पत्र समयावधि विरुद्ध
है और समयावधि खारिज किये जाने
योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
212 आर.टी. एक्ट समयावधि -
विरुद्ध और समयावधि खारिज
किया जाता है। निर्णय पृथक
से लिखाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार नाजीमाकूल बाद
तकमील नम्बर से दाखिल
दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
आज खुले न्यायालय सुनाया
गया।

(हस्ताक्षर)
महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती (जिला-करौली)